


20/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपस्थित।  
विपक्षी अधिधारी सहस्यीलदार इंगला सेजवध  
प्राप्त हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया  
गया। पत्रावली वास्तव्य आदिसा दिनांक 27.5.25  
को पेश हो।

  
20/05/25

27/5/25

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं  
गवाह श्री..... कार्य को रखगण  
उपस्थित..... किया गया।  
अतः पत्रावली पूर्णतया सुचारु दि. 1.7.25  
को पेश हो।



1.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपस्थित।  
वकील जर्जीने उपस्थित होकर प्राथमिक पत्र अन्तर्गत  
धारा 136 का प्राथमिक पत्र को विद्घो करने कले एवं  
इस सखस्य में अलग से वाट पत्र धारा 88 अन्तर्गत  
का पेश करने की अनुमति हेतु प्राथमिक पत्र पेश किया गया  
वकील जर्जी को सुना गया। वकील जर्जी का प्राथमिक पत्र  
को स्वीकार किया जाता है, प्राथमिक पत्र धारा 136 धरा  
धारा 88 को विद्घो करने की अनुमति दी जाती है।  
पत्रावली फेराल सुभा लोक नम्बर से कम हो।

अध्यापक अधिकारी  
इंगला  
जिला-चित्तौड़गढ़

